

**भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
"खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।**

संख्या 657/उप0ख0(ईनि)-V/भू0खनि0निदेशा0/2025-26,

दिनांक 10 फरवरी, 2026

वित्तीय निविदा का परिणाम

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023-24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय-4 के नियम-20 (1), (2) एवं (4) में राजस्व नदी तल उपखनिज लॉटों की घोषणा किये जाने, घोषित उपखनिज लॉटों का ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के प्राविधानों के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 5296/उ0ख0(ईनि)-V/वि0का0ज्ञा0/भू0खनि0नि0/2025-26, दिनांक 09 दिसम्बर, 2025 के द्वारा विज्ञापितकरण हेतु प्रदत्त स्वीकृत के क्रम में कार्यालय के निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 5489/USN_11/उ0ख0(ईनि)-V/भू0खनि0नि0/2025-26, दिनांक 17.12.2025 के द्वारा जनपद उधमसिंहनगर की तहसील बाजपुर के ग्राम लक्ष्मीपुर (कोसी नदी) खाता संख्या 129 खसरा संख्या 270, कुल रकवा 49.932 है0 मध्ये 2.00 है0 राजस्व उपखनिज क्षेत्र हेतु प्रति वर्ष उपखनिज की निकासी की मात्रा 1,08,000 टन एवं आधार मूल्य ₹ 86,40,000.00 निर्धारित करते हुए, उक्त उपखनिज लॉट को नियमावली के नियम 20(2) के प्रावधानानुसार 05 है0 से कम क्षेत्रफल हेतु राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 05 वर्ष की अवधि हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में इच्छुक बोलीदाताओं हेतु निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 09.01.2026 (शुक्रवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी।

निदेशालय के पत्र संख्या 5865/उ0ख0(ईनि)-V/भू0खनि0निदेशा0/2025-26, दिनांक 13 जनवरी, 2026 के द्वारा निविदा समिति की संस्तुति के दिनांक 09.01.2026 (शुक्रवार) के अनुसार जनपद उधमसिंहनगर की तहसील बाजपुर के ग्राम लक्ष्मीपुर (कोसी नदी) खाता संख्या 129 खसरा संख्या 270, कुल रकवा 49.932 है0 मध्ये 2.00 है0 राजस्व उपखनिज क्षेत्र की तकनीकी निविदा में निम्न निविदादाताओं को सफल घोषित करते हुए उनकी वित्तीय निविदा खोलने की अनुमति प्रदान की गयी:-

क्र0सं0	निविदादाताओं का नाम	तकनीकी निविदा का परिणाम
1	2	3
1.	श्री विजय कुमार	वित्तीय निविदा में प्रतिभाग करने हेतु सफल घोषित।
2.	न्यू शुभम स्टोन क्रेशर एल0एल0पी0	वित्तीय निविदा में प्रतिभाग करने हेतु सफल घोषित।
3.	एल0एस0सी0 इन्फ्राटैक लि0	वित्तीय निविदा में प्रतिभाग करने हेतु सफल घोषित।

ई-निविदा सह ई-नीलामी की तकनीकी निविदा में सफल घोषित निविदाकारों की वित्तीय निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 13 जनवरी, 2026 समय अपराह्न 4:00 बजे खोली गयी, जिसका परिणाम निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	बोलीदाताओं का नाम	वित्तीय निविदा में प्राप्त बोली (घनराशि ₹0 में)	वित्तीय बोली में प्राप्त उच्चतम बोली के अनुसार H1, H2, H3 परिणाम (₹0 में)
1	2	3	4
1.	श्री विजय कुमार	86,50,800.00	H1
2.	एल0एस0सी0 इन्फ्राटैक लि0	86,45,400.00	H2
3.	न्यू शुभम स्टोन क्रेशर एल0एल0पी0	86,42,160.00	H3

उपरोक्तानुसार ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के सुसंगत नियम 25(1) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1, H2, H3 घोषित किया जाता है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने एवं सफल बोलीदाताओं (H1 से H3 तक) की क्रमवार घोषणा किये जाने के उपरान्त सर्वप्रथम वित्तीय निविदा के सफल बोलीदाताओं में एच-1 बोलीदाता को उनके द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर राशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एच0-1 बोलीदाता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत यदि उक्त धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्बन्धित की जमा अर्नेस्ट मनी की धनराशि को जब्त करते हुए उनके विरुद्ध नियम-23(2)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा कोटिक्रम में एच-2 बोलीदाता को एच-1 द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने तथा

उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर धनराशि (Earnest Monery) की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Monery) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया कोटिक्रम में एच-3 तक अपनाई जायेगी। एच-3 द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत उक्तानुसार अनुपालन न किये जाने की दशा में ई-नीलामी की प्रक्रिया को समाप्त घोषित करते हुए पुनः ई-नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार श्री विजय कुमार पुत्र श्री सदाराम ग्राम पापडी, रामनगर जनपद नैनीताल के H1 बोलीदाता घोषित होने के फलस्वरूप, उनके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली ₹0 86,50,800.00 (रु0 छियासी लाख पचास हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि (Security Money) उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत ₹0 21,62,700.00 (रु0 इक्कीस लाख बासठ हजार सात सौ मात्र) आंगणित होती है, नियमावली के उक्त नियम-25(1) में किये गये प्रावधानानुसार H1 बोलीदाता के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आधार मूल्य ₹0 86,40,000.00 के 25 प्रतिशत के समतुल्य ₹0 21,60,000.00 के सापेक्ष भारतीय स्टेट बैंक पीरूमदारा नैनीताल द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में निर्गत एफ0डी0आर0 संख्या 00000044811739011 दिनांक 07 जनवरी, 2026 ₹0 30,24,000.00 (रु0 तीस लाख चौबीस हजार मात्र) निदेशालय में जमा की गई है, के अन्तर की धनराशि (रु0 21,62,700-30,24,000.00=+8,61,300) ₹0 +8,61,300 (रु0 आठ लाख इक्कठ हजार तीन सौ मात्र) अधिक है, उक्त अधिक जमा की गयी धनराशि वापस किया जाना है, तो उच्चतम बोली ₹0 86,50,800.00 की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत ₹0 ₹0 21,62,700.00 के समतुल्य धनराशि नवीन एफ0डी0आर0 के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष बंधक हो, जमा की जानी होगी, के जमा किये जाने पर पूर्व जमा एफ0डी0आर0 वापस कर दी जायेगी अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि को खनन पट्टा स्वीकृति के उपरान्त पट्टाधनराशि के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा।

अतः H1 बोलीदाता श्री विजय कुमार पुत्र श्री सदाराम निवासी ग्राम पापडी, रामनगर जनपद नैनीताल को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में 15 कार्यदिवस के अन्तर्गत अपनी सहमति इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें, ताकि तदनुसार नियमावली के नियम 25 (2) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता के पक्ष में प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन किये जाने खनन योजना तैयार किये जाने, पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्ल्यूएल0 (यदि आवश्यक हो) की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र निर्गत किया जा सकें।



(दिनेश कुमार)
संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक,

6571
संख्या /उप0ख0(ईनि)-V /भू0खनि0निदेशा0 /2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :-

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद उधमसिंहनगर।
4. एच-1 बोलीदाता श्री विजय कुमार पुत्र श्री सदाराम ग्राम पापडी, रामनगर जनपद नैनीताल।



(दिनेश कुमार)
संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक,